This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 मई, 2026 / 29 वैशाख, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th May, 2026

NO. GAD-A(B)8-1/2026.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare 22-05-2026 (Friday) as a "Paid Holiday" within the territorial jurisdiction of the Municipal Council

Rohru. All Government Offices, Boards, Corporations, Educational Institutions and Industrial Establishments including those covered under Industrial Disputes Act, as well as Shops and Commercial Establishments situated in the concerned area of the Municipal council shall remain closed on the above said date. This will also be a "Public Holiday" to daily wages employees and also within the meaning of Section 25 of Negotiable Instrument Act, 1881.

It is clarified that special casual leave may be granted to those employees who are working at different places in the State but have a right to vote in above Municipal Council subject to production of certificate from the concerned Presiding Officer confirming that the employee has actually cast his/her vote.

By order,
Chief Secretary.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th May, 2026

No. HHC/GAZ/14-326/2012-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 01 day commuted leave for 16-04-2026 in favour of Ms. Monika Sombal, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Ghumarwin.

Certified that Ms. Monika Sombal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Monika Sombal would have continued to hold the post of the Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Ghumarwin but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 15th May, 2026

No. HHC/GAZ/14-226/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 10 days un-availed earned leave *w.e.f.* 23-03-2026 to 01-04-2026, already sanctioned *vide* this Registry Notification No.HHC/GAZ/14-226/96-11-8630-36, dated 24-03-2026, in favour of Sh. Rajesh Tomar, Chairman-*cum*-Member, H.P. Transport Appellate Tribunal, Hamirpur, H.P.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत श्री ललित कुमार, तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 701686 / 2026 किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण तारीख पेशी : 26–05–2026

श्री राम चन्द पुत्र श्री खड़क राम, उपनाम मकोडू, गांव पडूमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

श्री राम चन्द पुत्र श्री खड़क राम, उपनाम मकोडू, गांव पडूमन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि मेरे दादा देविया राम पुत्र फीथा, गांव पड़मन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 13–06–1983 को गांव पड़मन, डाकघर कच्छेड़ा, ग्राम पंचायत मझेड़ा में हुई है। परन्तु अज्ञानतावश के कारण परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझेड़ा के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने दादा की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मझेड़ा को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के दादा देविया राम पुत्र फीथा, गांव पड़मन, डाकघर कच्छेड़ा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 13–06–1983 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 26–05–2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है वाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व मृत्यु पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मझेड़ा को पारित कर दिये जाएंगें।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से आज दिनांक 24–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 701646 / 2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 26–05–2026

गुलाव सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, गांव चम्वे दा लाहड़, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.––महाल चम्वे दा लाहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में प्रार्थी अपने पिता के नाम से सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैण्ड रवैन्यू एक्ट, 1954 की धारा 38(अ) के तहत नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में गुलाव सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, गांव चम्वे दा लाहड़, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का सही नाम रघुवीर सिंह है, परन्तु महाल चम्बे दा लाहड़ के राजस्व में मेरे पिता का नाम रूघिया गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश ग्रामीण राजस्व अधिकारी जलेट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल चम्वे दा लाहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूधिया के बजाये रूघिया उपनाम रघुवीर सिंह करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26–05–2026 को समय 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित ग्रामीण राजस्व अधिकारी जलेट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 28–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 701645 / 2026 नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 26–05–2026

राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, गांव चम्वे दा लाहड़, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––महाल चम्वे दा लाहड़, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में प्रार्थी अपने पिता के नाम से सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैण्ड रवैन्यू एक्ट, 1954 की धारा 38(अ) के तहत नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, गांव चम्वे दा लाहड़, डाकघर कोसरी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वंय हाजिर होकर प्रार्थना–पत्र पेश किया है कि मेरे पिता का सही नाम रघुवीर सिंह है। परन्तु महाल चम्वे दा लाहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में मेरे पिता के नाम रूघिया गलत दर्ज हुआ है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यमों से अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश ग्रामीण राजस्व अधिकारी जलेट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदनो को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल चम्वे दा लाहड़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम रूधिया के बजाये रूघिया उपनाम रघुवीर सिंह करने बारे कोई उजर या

एतराज हो तो वह दिनांक 26–05–2026 को समय 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त नाम दुरुस्ती के आदेश सम्बन्धित ग्रामीण राजस्व अधिकारी जलेट को जारी कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 28–04–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती नाम

अजय कुमार

बनाम

आम जनता

नोटिस (मुश्त्री / मुनादी) बनाम आम जनता।

उपरोक्त अदालत हजा में प्रार्थी श्री अजय कुमार पुत्र चूहडू राम पुत्र सालीग्राम, निवासी महाल बीहण, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने इस अदालत में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती की दरखास्त दायर कर रखी है। इसलिए समस्त आम जनता को इस मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय कुमार के पिता का नाम महाल बीहण, तहसील देहरा के राजस्व अभिलेख में चूहडू राम पुत्र सालीग्राम के बजाये चूहडू राम उपनाम देव राज पुत्र सालीग्राम किया जाये तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति के न होने की स्थिति में या उपरोक्त समय सीमा के भीतर आम जनता की तरफ से कोई भी उजर / एतराज हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार उपरोक्त मुकद्दमा में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जायेगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

अनीता पोती रण सिंह पुत्र नुरध सिंह, वासी महाल लाहडू, मौजा बाड़ी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया अनीता पोती रण सिंह पुत्र नुरध सिंह, वासी महाल लाहडू मौजा बाड़ी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपने दादा रण सिंह की मृत्यु तिथि जोकि 01–01–1977 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया के दादा रण सिंह की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

सुन्दरा देवी पुत्री रोशन लाल, वासी गांव धन्याडी, डाकघर दरकाटा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966।

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया सुन्दरा देवी पुत्री रोशन लाल, वासी गांव धन्याडी, डाकघर दरकाटा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 01–01–1967 है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

अनीता कुमारी पुत्री रिखी राम, वासी गांव अम्ब, डाकघर पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म तिथि एवं मृत्यु अधिनियम, 1966.

नोटिस (मुश्त्री मुनादी) बनाम आम जनता।

प्रार्थिया अनीता कुमारी पुत्री रिखी राम, वासी गांव अम्ब, डाकघर पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 10–06–1969 है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत हैं। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, Exercising the Powers of Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)

In Ref. :

Ankush Chauhan and Anu Bala

V/S

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.

An application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received by under signed from Ankush Chauhan s/o Sh. Sansar Chand Chauhan, r/o Vill. & P.O. Gaggal Khas, Tehsil Kangra, Distt. Kangra (H.P.) and Anu Bala d/o Sh. Onkar Chand Rana, r/o Vill. Androli, P.O. Bachhwai, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) PIN-176 107. If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel by submitted to this office on or before 30-05-2026. Otherwise the marriage will be registered.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Dheera, District Kangra (H.P.).

ब अदालत तहसीलदार पी0सी0 कौण्डल एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 21–05–2026

श्री कांशी राम, 2. केदार नाथ, 3. विशम्भर दास पुत्रान रसीला पुत्र गिलजा, निवासी महाल मलोग, पटवार वृत्त बोदा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

1. बिहारी लाल, 2. पूर्ण चन्द पुत्रान, 3. कुशली देवी पुत्री जगदीश पुत्र चुहड़ू, 4. राजेश कुमार पुत्र, 5. स्वर्णलता, 6. अरूणलता, 7. कर्णलता पुत्रियां जगतम्बा प्रसाद, निवासियान महाल मलोग, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) .. प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 20, खतौनी नं0 45 ता 50, खसरा कित्ता–14, रकबा तदादी 0–20–00 हैक्ट0, महाल मलोग, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

प्रार्थीगण कांशी राम, 2. केदार नाथ, 3. विशम्भर दास पुत्रान रसीला पुत्र गिलजा, निवासी महाल मलोग, पटवार वृत्त बोदा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्त्री / मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्त्री / मुनादी / राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21–05–26 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29–04–26 को जारी हुआ ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत तहसीलदार पी0सी0 कौण्डल एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम तारीख पेशी : 21–05–2026

श्री कांशी राम, 2. केदार नाथ, 3. विशम्भर दास पुत्रान रसीला पुत्र गिलजा, निवासी महाल मलोग, पटवार वृत्त बोदा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

1. बिहारी लाल, 2. पूर्ण चन्द पुत्रान, 3. कुशली देवी पुत्री जगदीश पुत्र चुहड़ू, 4. राजेश कुमार पुत्र, 5. स्वर्णलता, 6. अरूणलता, 7. कर्णलता पुत्रियां जगतम्बा प्रसाद पुत्र चुहड़ू, 8. भूपिन्द्र शर्मा, 9. नवीन शर्मा

पुत्रान अमरनाथ पुत्र शिव राम, 10. विक्रमजीत पुत्र शिव राम, 11. विजय कुमार पुत्र दीना नाथ, 12. मनोज कुमार पुत्र स्वामी राम, 13. आशा रानी, 14. अमिता, 15. अंजना, 16. वन्दना पुत्रियां, 17. कमला देवी विधवा किशोरी लाल, 18. संजय कुमार, 19. निर्मल कुमार पुत्रान, 20. सरेश्ठा देवी पुत्री विशन दास, 21. सतिन्द्र कुमार, 22. नरिन्द्र कुमार, 23. वरिन्द्र कुमार, 24. दिलबाग सिह पुत्रान धनिया पुत्र लाला, 25. रतनी देवी पुत्री किरपा पुत्र बूटा, 26. देश राज, 27. हरवंश कुमार पुत्रान, 28. विमला देवी पुत्री मोती पुत्र किरपा, 29. वीना देवी, 30. राजो देवी पुत्रियां दीवाना राम पुत्र किरपा राम, 31. कान्ता देवी पत्नी मिलाप चन्द पुत्र परस राम, 32. पंकज कुमार पुत्र, 33. प्रवीणा कुमारी, 34. रीना कुमारी पुत्रियां, 35. सिमरो देवी विधवा राम किशन, 36. राज कुमार पुत्र साली पुत्र बूटा, 37. धर्मवीर, 38. राजिन्द्र कुमार पुत्रान, 39. मना देवी, 40. संजीकता देवी पुत्रियां सुख्यिा राम पुत्र भेंगा, 41. प्रकाश चन्द उपनाम ओम प्रकाश पुत्र राणू राम पुत्र भेंगा, 42. संजीव कुमार, 43. विशाल पुत्रान, 44. नीलम कुमारी पुत्री हीम राज पुत्र गणपत, 45. सरूप चन्द पुत्र, 46. पवना देवी पुत्री गणपत पुत्र भेगा, 47. मनोहर लाल, 48. विजय कुमार पुत्रान, 49. किरना देवी पुत्री, 50. विमला देवी विधवा राणू राम पुत्र भेंगा निवासियान महाल मलोग, पटवार वृत्त बोदा, तहसील सुलह जिला कांगडा हि0प्र0।

.. प्रतिवादीगण।

भूमि खाता नं0 37, खतौनी नं0 96 ता 98, खसरा कित्ता–4, रकबा तदादी 0–23–41 हैक्ट0, महाल मलोग, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

जमेदार तहसील

प्रार्थीगण कांशी राम, 2. केदार नाथ, 3. विशम्भर दास पुत्रान रसीला पुत्र गिलजा, निवासी महाल मलोग, पटवार वृत्त बोदा, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में तकसीम करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को तामील करवाई गई। प्राप्त रिपोर्ट प्रतिवादीगण दिए पते पर नहीं रहते हैं। प्रार्थी ने मौखिक तौर पर प्रतिवादीगण का सही पता पेश करने में असमर्थता जताई है तथा मुश्त्री / मुनादी व राजपत्र इश्तहार जारी करने का अनुरोध किया। अतः न्यायालय की सन्तुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त वर्णित प्रतिवादीगण को मुश्त्री / मुनादी / राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21–05–26 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 29–04–26 को जारी हुआ ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार पी0सी0 कौण्डल एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 21–05–2026

विक्रम चन्द पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घुघंर, निवासी घरथोली, डा0 बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

.. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

प्रार्थी विक्रम चन्द पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घूघंर, निवासी घरथोली, डा0 बल्लाह, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र, मय शपथ–पत्र, परिवार रजिस्टर नकल आदि दस्तावेज प्रस्तुत किए कि प्रार्थी का सही नाम विक्रम चन्द पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घूघंर है। जबकि महाल घरथोली के राजस्व अभिलेख में सहवन विक्रमजीत पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घुघंर दर्ज कागजात माल है, जोकि गलत है। अतः महाल घरथोली के राजस्व अभिलेख मेरा नाम विक्रमजीत पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घुघंर के स्थान पर विक्रम चन्द पुत्र वचित्र सिंह पुत्र घूघंर दर्ज कागजात माल करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार हि0प्र0 / मुस्त्री मुनादी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21–05–2026 को असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर उजर पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख दायर : 21–04–2026 तारीख पेशी : 21–05–2026

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण।

ईशरा देवी पुत्री ठुनिया राम, निवासी अधवानी, उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

प्रार्थिया ईशरा देवी पुत्री ठुनिया राम, निवासी अधवानी, उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र पेश करते हुए निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 06–03–1944 को हुआ है, जोकि गलती व अज्ञानतावश स्थानीय ग्राम पंचायत अधवानी के जन्म व मृत्यु अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। जिसे ग्राम पंचायत अधवानी के अभिलेख में दर्ज किया जाना अनिवार्य है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 21–05–2026 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज जेरे समायत न होगा तथा ईशरा देवी पुत्री ठुनिया राम, निवासी अधवानी, उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06–03–1944 जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत अधवानी के जन्म व मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील भड़ोली, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	तारीख पेशी
821846 / 2026	31–03–2026	28–05–2026

श्री रमजान दीन पुत्र श्री फतेह दीन पुत्र फकीर, निवासी महाल स्वाड़, मौज़ा बालूग्लोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..फरीक दोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री रमजान दीन पुत्र श्री फतेह दीन पुत्र फकीर, निवासी महाल स्वाड़, मौज़ा बालूग्लोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 31–03–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम फतेह दीन है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल स्वाड़ में प्रार्थी के पिता का नाम फता दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन–पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा–पत्र, परिवार नकल व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल स्वाड़ में प्रार्थी के पिता का नाम फता के स्थान पर फता उपनाम फतेह दीन पुत्र फकीर, निवासी महाल स्वाड़, मौज़ा बालूग्लोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम की दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28–05–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	तारीख पेशी
821856 / 2026	25–04–2026	28–05–2026

श्री रणवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री मनशा राम पुत्र जैमल सिंह, निवासी महाल गडराना, मौज़ा एरला, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीक दोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री रणवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री मनशा राम पुत्र जैमल सिंह, निवासी महाल गडराना, मौज़ा एरला, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 25–04–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम रणवीर सिंह ठाकुर है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल ठठल, महाल चकबन ठठल व महाल गडराना में रणवीर सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन–पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा–पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल ठठल, महाल चकबन ठठल व महाल गडराना में प्रार्थी का नाम रणवीर सिंह के स्थान पर रणवीर सिंह उपनाम रणवीर सिंह ठाकुर पुत्र श्री मनशा राम पुत्र जैमल सिंह, निवासी महाल गडराना, मौज़ा एरला, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28–05–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	तारीख पेशी
821855 / 2026	24–04–2026	28–05–2026

श्री हरविंद कुमार पुत्र श्री करतार चन्द पुत्र सन्तू, निवासी महाल व मौज़ा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..फरीक दोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री हरविंद कुमार पुत्र श्री करतार चन्द पुत्र सन्तू, निवासी महाल व मौज़ा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 24–04–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम हरविंद कुमार है व प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम करतार चन्द है, परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दनोआ में प्रार्थी का नाम हरविन्दर कुमार व प्रार्थी के पिता का नाम करतार सिंह दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन–पत्र तलबाना, नकल शजरा नस्ब, स्वघोषणा–पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने व अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल दनोआ में प्रार्थी का नाम हरविन्दर कुमार के स्थान पर हरविंद कुमार पुत्र करतार चन्द पुत्र सन्तू, निवासी महाल व मौज़ा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) व प्रार्थी के पिता का नाम करतार सिंह के स्थान पर करतार चन्द पुत्र सन्तू, निवासी महाल व मौज़ा दनोआ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28–05–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	तारीख पेशी
821853 / 2026	24–04–2026	28–05–2026

श्री मदन मोहन राणा पुत्र श्री नीरू पुत्र वरडू, निवासी महाल टौरू, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..फरीक दोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री मदन मोहन राणा पुत्र श्री नीरू पुत्र वरडू, निवासी महाल टौरू, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 24–04–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम मदन मोहन राणा है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल टौरू व महाल धौरड़ा में मदन लाल दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने

प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन–पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा–पत्र, परिवार नकल, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल टौरू व महाल धौरड़ा में प्रार्थी का नाम मदन लाल के स्थान पर मदन मोहन राणा पुत्र नीरू पुत्र वरडू, निवासी महाल टौरू, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 28–05–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

समक्ष नायब तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख मजरूआ	तारीख पेशी
821857 / 2026	04–05–2026	10–06–2026

श्री आशीष पुत्र श्री बाबू राम पुत्र श्री धनी राम उर्फ धना राम, निवासी महाल खपरनाल, मौजा बाड़ी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता .. फरीक दोयम।

दरखास्त बाबत नाम दुरुस्ती

श्री आशीष पुत्र श्री बाबू राम पुत्र श्री धनी राम उर्फ धना राम, निवासी महाल खपरनाल, मौजा बाड़ी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में दिनांक 04–05–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थाना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम आशीष है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल खपरनाल में आशीष कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन–पत्र तलबाना, नकल जमाबंदी, स्वघोषणा–पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण–पत्र, निर्वाचन पहचान–पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल खपरनाल में प्रार्थी का नाम आशीष कुमार के स्थान पर आशीष पुत्र श्री बाबू राम पुत्र श्री धनी राम उर्फ धना राम, निवासी महाल खपरनाल, मौजा बाड़ी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 10–06–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 06–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Dr. Ganesh Thakur, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Sh. Munish Thakur s/o Onkar Singh, V.P.O. Charri, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra (H.P.)

2. Smt. Anju Kumari d/o Sunder Singh, Village Kachrang, P.O. Nathpa, Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur (H.P.) . . *Applicants.*

Versus

1. General Public.
2. Local Registrar, Gram Panchayat Charri. . .*Respondents.*

Subject.—Application for the Marriage Registration u/s 816 of Special Marriage Act, 1954.

Applicants Sh. Munish Thakur s/o Onkar Singh, V.P.O Charri, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra H.P. and Smt. Smt. Anju Kumari d/o Sunder Singh, Village Kachrang, P.O. Nathpa, Tehsil Nichar, Distt. Kinnaur H.P. has filled an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith declaration in which they have stated that they have solemnized their marriage on 05-02-2024 at V.P.O. Charri, Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, H.P. as per Hindu rites & customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 12-06-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Seal. Sd/-
(Dr. GANESH THAKUR),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shahpur, Distt. Kangra (H.P.).

———————

In the Court of Assistant Collector-cum-**Naib Tehsildar, Bharoli, Distt. Kangra (H.P.)-176 036**

Case NO. 822260/26 Next Hearing Date 28-05-2026

In the matter of :

Sh. Kapil Dev s/o Uttam Singh, r/o Bedli, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application of correction of Name under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Notice

Whereas, Sh. Kapil Dev s/o Uttam Singh, r/o Bedli, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of The Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive documents such as Adhar Card, Pan Card, Parivar Nakal and Jamabandi Parcha etc. in the court of undersigned.

Wherein he stated that, he belongs to above mentioned address. His name is written as Kapil Singh in the land/revenue record of Mohal Bedli, Mouza Bharoli which is wrong. His oroginal/correct name is "Kapil Dev". Therefore, he request to correct his name "Kapil Dev" instead of Kapil Singh in the revenue record of Mohal Bedli, Mouza Bharoli, Sub-Tehsil Bharoli, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant may submit his/her objection in writing to this court before 28-05-2026. No objection will be entertained after prescribed period and appliation will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on dated 28-04-2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector-cum-*Naib Tehsildar,*
Bharoli, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Dheera, exercising the Powers of Marriage Officer, Dheera, Distt. Kangra (H.P.)

In Ref :

Abhishek s/o Shri Ramesh Chand and Sonam Pareek d/o Om Prakash Prohit.

General Public

Application under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 for the Registration of Marriage.

An Application Under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 has been received from Abhishek DOB : 24-11-2002 s/o Sh. Ramesh Chand, r/o Vill. Gharthun, P.O. Kauna, Tehsil Thural, Distt. Kangra (H.P.) Pin Code 176 107 and Sonam Pareek DOB : 31-03-1990 d/o Sh. Om Parkash Prohit, r/o 13-08-189, Kagaziguda, Purnapool, Asifnagar, Distt. Hyderabad (A.P.) on 31-03-2026 at Nagni Mata Mandir Sapri Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.). If there is any objection on this marriage, the objection in person or through counsel by submitted to this office on or before 20-06-2026 otherwise the marriage will be registered.

Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-*SDM,*
Dheera, District Kangra (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Exercising the Powers of Marriage Officer Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)

In the matter of :

1. Amarjeet aged 31 years s/o Sh. Puran Chand, r/o Village Jamul, P.O. Dola Khariyana, Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.)

2. Meena Kumari aged 32 years d/o Sh. Rajinder Kumar, r/o Thamba, P.O. & Tehsil Khundian, Distt. Kangra (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Subject.—Notice for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

The above applicants have filed an application u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits and supporting documents in the court of undersigned in which they have stated that they have solemnized their marriage on 12-06-2025 at Thamba, P.O. & Tehsil Khundian, Distt. Kangra, H.P. and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who have any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this office on or before 29-05-2026 at 11.00 A.M. The objection (s) after 29-05-2026 at 11:00 A.M. Will Not entered by this office and then the marriage will be registered accordings as per the law prescribed.

Issued on this day 17th Day of April, 2026 under my hand and seal of this office.

Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate-cum- Marriage Officer,
Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Assstant Collector-cum-**Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

Case No. : 814274/2026 Date of Hearing : 28-05-2026

In the matter of :

Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Paras Ram, r/o VPO Amb Pathiar, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application of correcton of Name Under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Sh. Jagdish Chand s/o Sh. Paras Ram, r/o V.P.O. Amb Pathiar, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of the Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive document such as affidavit, Adhar Card, Ration Card, Jamabandi Parcha and Parivar Nakal in th court of undersigned .

Wherein he stated that he belongs to above metioned address. His name is written as Jagdish Ram in the land/revenue record of Mohal Uchhar and Pathiar which is wrong. His original/correct name is "Jagdish Chand" . Therefore, he request to correct his name as "Jagdish Chand" instead of Jagdish Ram in the revenue record of Mohal Uchhar and Pathiar Jawalamukhi, Tehsil Jawalamukhi as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in Gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above may submit his/her objecton in writing to this court before 28-05-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 17-04-2026.

Seal. Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

In the Court of Assstant Collector-cum-**Naib Tehsildar, Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.)**

Case No. : 814232/2026 Date of Hearing : 02-06-2026

In the matter of :

Sh. Raj Kumar s/o Sh. Jai Ram, r/o Mohal and Mouza Darang, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) .. *Applicants.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application of correcton of Name Under Section 37(2) of Land Revenue Act, 1954.

Whereas, Sh. Raj Kumar s/o Sh. Jai Ram, r/o Mohal Darang, Mouza and Tehsil Jawalamukhi, District Kangra, H.P. has submitted an application under section 37(2) of tthe Land Revenue Act, 1954 alongwith all supportive document's such as affidavit, Adhar Card, Ration Card, Voter Card Jamabandi Parcha PAN Card and Parivar Nakal in the court of undersigned .

Wherein he stated that he belongs to above metioned address. His name is written as Raju Ram in the land/revenue record of Mohal Darang, Mouza Jawalamukhi which is wrong. His

original/correct name is "Raj Kumar". Therefore he request to correct his name as "Raj Kumar" instead of Raju Ram in the revenue record of Mohal Darang Mouza Jawalamukhi, Tehsil Jawalamukhi, as per supportive documents enclosed by him with the application file.

Therefore, through this proclamation in Gazette/leading newspaper, the general public is hereby informed that, if any person having any objection for entry of correction in name of applicant mentioned above may submit his/her objecton in writing to this court before 02-06-2026. No Objection will be entertained after prescribed period and application will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 16-04-2026.

Seal. Sd/-

Assistant Collector 2nd Grade,
Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर	तारीख पेशी :
38/RNTK/ 2026	नाम दुरुस्ती	28–03–2026	21–05–2026

जगन सिंह पुत्र लाल सिंह, निवासी महाल भन्याड़ी, मौजा भाली, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जगन सिंह ने इस न्यायालय में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार, राजस्व रिकॉर्ड महाल भन्याड़ी में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश 'जगन्नाथ' दर्ज है, जबकि उनका सही नाम 'जगन सिंह' है इस संबंध में प्रार्थी ने सबूत के तौर पर पर्चा जमाबंदी वर्ष 2022–23, महाल भन्याड़ी, परिवार रजिस्टर की प्रति व हल्फिया ब्यान साथ संलग्न किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ''जगन सिंह उर्फ जगन्नाथ'' किए जाने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 11–05–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर	तारीख पेशी
39 / RNTK / 2026	जन्म तिथि पंजीकरण	28–03–2023	21–05–2026

विशाल धीमान सुपुत्र श्री सुरिंदर सिंह, निवास ग्राम भोगता, डाकघर नढोली, ग्राम पंचायत कोठीबांडा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेर धारा (13)3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

इस न्यायालय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार (जन्म एवं मृत्यु), कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से प्रार्थी विशाल धीमान सुपुत्र श्री सुरिंदर सिंह, निवासी ग्राम भोगता, डाकघर नढोली, ग्राम पंचायत कोठीबांडा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का जन्म तिथि 18–07–2005 का पंजीकरण ग्राम पंचायत नढोली में दर्ज करवाने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। पत्र के साथ बतौर सबूत हल्फिया ब्यान व दो गवाहों के हल्फिया ब्यान साथ संलग्न हैं।

अतः इस ईश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी विशाल धीमान सुपुत्र श्री सुरिंदर सिंह की जन्म तिथि ग्राम पचांयत नढोली में दर्ज किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जायेगा।

यह ईश्तहार अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11–05–2026 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर	तारीख पेशी :
40/RNTK/ 2026	नाम दुरुस्ती	28–03–2026	21–05–2026

वरिन्द्र सिंह पुत्र गोरख नाथ, निवासी महाल कुठेहड़, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी वरिन्द्र सिंह ने इस न्यायालय में अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार, राजस्व रिकॉर्ड महाल कुठेहड़ में प्रार्थी के पिता का नाम त्रुटिवश 'गोरख राम' दर्ज है, जबकि उनका सही नाम 'गोरख नाथ' है। इस संबंध में प्रार्थी ने सबूत के तौर पर पर्चा जमाबंदी वर्ष 2023–24, महाल कुठेहड़, अपने शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की प्रति, हल्फिया ब्यान और परिवार नकल संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में 'गोरख राम उर्फ गोरख नाथ' किए जाने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 11–05–2026 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख पेशी :
47/RNTK/ 2026	नाम दुरुस्ती	21–05–2026

किशन चंद सुपुत्र श्री दरबारी लाल, निवासी मोहाल पुरखेड़, मौजा नढोली, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी किशन चंद ने इस न्यायालय में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार, राजस्व रिकॉर्ड महाल पुरखेड़ में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश 'कृष्ण सिंह' दर्ज है, जबकि उनका सही नाम 'किशन चंद' है। इस संबंध में प्रार्थी ने साक्ष्य के तौर पर पर्चा जमाबंदी वर्ष 2021–22, महाल पुरखेड़ आधार कार्ड की प्रति, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा ब्यान हल्फिया साथ संलग्न किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का ''किशन चंद उर्फ कृष्ण सिंह'' किए जाने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने वकील के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11–05–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

———————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :
47/RNTK/ 2026	नाम दुरुस्ती	28–03–2026	21–05–2026

अमर सिंह पुत्र श्री दालती राम, निवासी महाल चंदनी, मौजा भाली, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 37 हिमाचल प्रदेश भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अमर सिंह ने इस न्यायालय में अपने नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार, राजस्व रिकॉर्ड (महाल चंदनी) में प्रार्थी का नाम त्रुटिवश 'अमरो' दर्ज है, जबकि उनका सही नाम 'अमर सिंह' है। इस संबंध में प्रार्थी ने सबूत के तौर पर पर पर्चा जमाबंदी वर्ष 2020–21, (महाल चंदनी), परिवार रजिस्टर की प्रति तथा हल्फिया ब्यान साथ संलग्न किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ''अमर सिंह उर्फ अमरो'' किए जाने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11–05–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तारीख पेशी :
37/RNTK/ 2026	नाम दुरुस्ती	28–03–2026	21–05–2026

जैशी राम पुत्र श्री किरु राम, निवासी ग्राम तखन्याड़, डाकघर भाली, उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषयः––प्रार्थना–पत्र बाबत नाम दुरुस्ती राजस्व रिकॉर्ड अंतर्गत धारा 37 हिमाचल प्रदेश भ–राजस्व अधिनियम, 1954.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जैशी राम ने इस न्यायालय में अपने तथा अपने पिता के नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कथनानुसार, राजस्व रिकॉर्ड (महाल तखन्याड़) में प्रार्थी व उसके पिता का नाम त्रुटिवश क्रमश : 'जैसी राम' व 'किहरू' दर्ज है, जबकि उनका सही नाम 'जैशी राम' व 'किरु राम' है। इस संबंध में प्रार्थी ने सबूत के तौर पर पर्चा जमाबंदी वर्ष 2024–25, (महाल तखन्याड़), परिवार रजिस्टर की प्रति तथा हल्फिया ब्यान साथ संलग्न किए हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम ''जैसी राम उर्फ जैशी राम'' तथा प्रार्थी के पिता का नाम ''किहरू उर्फ किरु राम'' किए जाने बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 21–05–2026 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 11–05–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप–तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल सं0 : 3 / 2026 संस्थापन तिथि : 27–04–2026

दिनेश पुत्र रिमि बहादुर, निवासी धामला, डाकघर सनौंरा, तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में किशन कुमार पुत्र रिमि बहादुर, निवासी धामला, डाकघर सनौंरा, तहसील पझौता, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2 / 3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2 / 3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्र संख्या एच.एफ.डब्लू–एस.एम.एल. / (MOH) जन्म एवं मृत्यु / एस.टी. / 2026–751, दिनांक 29–01–2026 के माध्यम से इस कार्यालय / न्यायालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थी व ग्वाहन, अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड संलग्न किए हैं। जिसमें शपथ–पत्र प्रार्थी व ग्वाहन के अनुसार दिनेश पुत्र रिमि बहादुर, निवासी धामला, डाकघर सनौंरा, तहसील पझौता, जिला सिरमौर, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 08–02–2022 को वार्ड नं0–2, नगर पंचायत कोटखाई में हुई थी तथा किसी कारणवश वह इसका मृत्यु पंजीकरण नगर पंचायत कोटखाई के जन्म / मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न कर सका है। जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थी ने अनुरोध किया है कि उनके भाई की मृत्यु नगर पंचायत कोटखाई में दर्ज / पंजीकृत की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर / एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति / उजर काबिले समायत न होगा तथा मृत्यु तिथि 08–02–2022 को सम्बन्धित पंचायत के जन्म / मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

Before Sh. Rivander Kumar Sisodiya, Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Balvinder Kaur w/o Sh. Kamal Jeet, r/o Village Naya Kot-Dharamkot, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Proclamation Regarding Correction of Applicant's Daughter Name.

Whereas, the above named applicant has submitted an application before undersinged along with copy of affidavit, Educational Certificate (10th), birth Certificate, copy of pariwar register nakal and Aadhar Card for the correction of her minor daughter's name as HARMAN instead of HARMANPREET KAUR in her Aadhar Card (6663 6187 6555).

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding correction of the applicant's daughter name as HARMAN instead of HARMANPREET KAUR in her Aadhar Card (6663 6187 6555) then they should appear before the court of undersigned on or before 28-05-2026 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 27-04-2026.

Sd/-
Seal. (RIVANDER SISODIYA),
Naib-Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, Sirmaur, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Svran Kor d/o Sh. Chatar Singh, r/o Village Kishanpur, P.O. & G.P. Bhatanwali, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Svran Kor d/o Sh. Chatar Singh, under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-*cum*-chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-236 dated 08-04-2026 for entering her date of birth *i.e.* 11-05-1973 in the birth and death register of G.P. Bhatanwali, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant register of G.P. Bhatanwali, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Svran Kor d/o Sh. Chatar Singh, r/o Village Kishanpur, P.O. & G.P. Bhatanwali, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-05-2026 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 27th day of April, 2026.

Sd/-
Seal. (RAVINDER SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

Before Sh. Ravinder Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Karnel Singh, r/o V.P.O. & G.P. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Karnel Singh, under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-*cum*-chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15344 dated 09-03-2026 for entering her name date of birth *i.e.* 21-07-1980 in the birth and death register of G.P. Shivpur, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant register of G.P. Shivpur, Distt. Sirmaur H.P.

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Smt. Manjeet Kaur d/o Sh. Karnel Singh, r/o V.P.O. & G.P. Shivpur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-05-2026 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24 day of April, 2026.

Sd/-
Seal. (RAVINDER SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03 / 13(3) of 2026 तारीख मजरूआ : 25—04—2026 तारीख पेशी : 26—05—2026

प्रार्थी श्री बलिंदर सिंह पुत्र श्री स्वरुप सिंह, निवासी गांव लुहली, डाकघर & ग्राम पंचायत थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री बलिंदर सिंह पुत्र श्री स्वरुप सिंह, निवासी गांव लुहली, डाकघर & ग्राम पंचायत थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला (रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed cases/2025-247, दिनांक 08–04–2026 को अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसके दादा जी श्री चुहड सिंह पुत्र श्री नान्टू की मृत्यु दिनांक 10–02–1969 को गांव लुहली, ग्राम पंचायत थाना कशोगा में घर पर ही हुई थी लेकिन अज्ञानता व लापरवाही के कारण वह आज दिन तक अपने दादा श्री चुहड सिंह पुत्र श्री नान्टू की मुत्यु तिथि 10–02–1969 ग्राम पंचायत थाना कशोगा, में दर्ज न करवा सके जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

मृत्यु दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 26–05–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

Before Sh. Ram Bhaj Sharma, Executive Magistrate-cum-(Naib Tehsildar), Majra, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Case No.	Date of Institution	Date of Decision
16/2026	22-04-2026	Pending for 25-05-2026

Smt. Kanija daughter of Sh. Farjanda, r/o Village Rampur Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) . .*Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondents.*

Application under section 13(3) of birth and death Registration Act, 1969.

Smt. Kanija daughter of Sh. Farjanda, r/o Village Rampur Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, Distt. Sirmaur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that her birth on 01-10-1968 at Village Rampur Bharapur, P.O. Dhaulakuan, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) but her date of birth could not registered in the records of Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra, District Sirmaur, (H.P.) within stipulated period.

Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary, Births & Deaths Registration, Gram Panchayat Rampur Bharapur, Sub-Tehsil Majra for entering the same in the births and deaths records.

Therefore, by this proclamation the general publc is hereby informed that any person having any objections for the registration of delayed date of birth of Kanija daughter of Sh. Farjanda & Smt. Bundi, may submit their objections in writing in this court on or before 25-05-2026 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 25th day of April, 2026.

Seal.

Sd/-
(RAM BHAJ SHARMA),
Executive Magistrate-cum-*(Naib Tehsildar),*
Majra, District Sirmaur (H.P.)

Before Sh. Ravinder Sisodiya Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Jai Singh, r/o Village Surajpur, P.O. Puruwala, G.P. Patliyon, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Regarding delayed Registration of Birth and death under section 13 (3) of Birth and Death Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003.

Whereas, an application of Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Jai Singh, under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9 (3) of H.P. Birth & Death Registration Rule, 2003 alongwith affidavit and other relevant documents has been received in this office from the office of District Registrar (Birth & Death)-*cum*-chief Medical Officer, District Sirmaur at Nahan, H.P. *vide* their office letter No. HFW-N/ST/B&D/Delayed Cases/2025-15739 dated 17-03-2026 for entering her name of date of birth *i.e.* 24-02-1984 in the birth and death register of G.P. Patliyon, Distt. Sirmaur H.P. which could not earlier registered in the relevant register of G.P. Patliyon, Distt. Sirmaur (H.P.)

Now, therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Sh. Rajinder Kumar s/o Sh. Jai Singh, r/o Village Surajpur, P.O. Puruwala, G.P. Patliyon, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh may submit their objection in writing or appear in person in this court on or before 25-05-2026 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24 day of April, 2026.

Sd/-
Seal. (RAVINDER SISODIYA),
Executive Magistrate,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04 / 13(3) of 2026 तारीख मजरूआ : 25–04–2026 तारीख पेशी : 25–05–2026

प्रार्थी श्री नरपत सिंह पुत्र श्री अनंत राम, निवासी गांव पनयाली, डाकघर & ग्राम पंचायत पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री नरपत सिंह पुत्र श्री अनंत राम, निवासी गांव पनयाली, डाकघर & ग्राम पंचायत पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed cases/2025-193, दिनांक 08–04–2026 को अदालत हजा में दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसके पिता श्री अनंत राम पुत्र श्री ठुम्बर सिंह व श्रीमती मिमला देवी की मृत्यु दिनांक 24–06–1984 को गांव पलयाली, ग्राम पंचायत पराडा में घर पर ही हुई थी लेकिन अज्ञानता व लापरवाही के कारण वह आज दिन तक अपने पिता श्री अनंत राम पुत्र श्री ठुम्बर सिंह की मुत्यु तिथि 24–06–1984 ग्राम पंचायत पराडा, में दर्ज न करवा सके जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

मृत्यु दर्ज के मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25–05–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –
मोहर। (सुरेश कुमार),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, राजगढ़,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)**

मिसल नं0 : 10 / 2026 तारीख मरजुआ : 30–04–2026

श्री रविप्रकाश पुत्र जगतराम, निवासी ब्राईला, डा0 व ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

इश्तहार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण।

श्री रविप्रकाश पुत्र जगतराम, निवासी ब्राईला, डा0 व ग्राम पंचायत दाहन, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियम, 2003 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के माध्यम से अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दहान में दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसका जन्म घर पर ही हुआ है, परन्तु अज्ञानता के कारण निश्चित अवधि में जन्म तिथि पंचायत के जन्म व मृत्यु रजिस्टर में दर्ज नहीं हो सकी। आवेदक के अनुसार उसका जन्म दिनांक 17–08–1981 को हुआ है। सायल ने ग्राम पंचायत दाहन के पंजीकरण पंजी में अपनी जन्म तिथि दर्ज करवाने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रविप्रकाश पुत्र जगतराम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत दाहन में दर्ज करने में एतराज हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर हमारे कार्यालय में असालनत या वकालतन हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत करें। उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा तथा रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) एवं सचिव ग्राम पंचायत दाहन को जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 30–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
राजगढ़, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कुमारी ममता पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी नाईचना़, डाकघर चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र कुमारी ममता पुत्री श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी नाईचना़, डाकघर चोकर, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 29–09–1991 है और उसे ग्राम पंचायत शामरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 29–05–2026 से पूर्व इस अदालत में किसी कार्यदिवस में प्रस्तुत करे, बसूरत दीगर कुमारी ममता की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 29–04–2026 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

समक्ष श्री सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 13(3) of 2026 तारीख मजरूआ : 25–04–2026 तारीख पेशी : 25–05–2026

प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम पंचायत थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराये जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 जेरे धारा 13(3)।

प्रार्थी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी ग्राम पंचायत थाना कशोगा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत एक आवेदन जिला रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) / मुख्य चकित्सा अधिकारी, जिला सिरमौर स्थित नाहन के पत्र क्रमांक HFW-N/ST/B&D/Delayed cases/2026-373, दिनांक 16–04–2026 को अदालत हजा में दरख्वास्त गुजार कर दावा किया है कि उसका जन्म दिनांक 05–03–1966 को ग्राम पंचायत थाना कशोगा में घर पर ही हुआ था लेकिन अज्ञानता व लापरवाही के कारण वह आज दिन तक अपनी जन्म तिथि 05–03–1966 ग्राम पंचायत थाना कशोगा दर्ज न करवा सके जिसे नियमानुसार दर्ज किया जाना उचित व आवश्यक है।

जन्म दर्ज मौजूदा मामले में प्रार्थी के उपरोक्त दावों के संदर्भ में प्रार्थी के सभी सगे–सम्बन्धियों एवं आम जनता को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उक्त दुरुस्ती मामले में किसी भी प्रकार की आपत्ति व एतराज दर्ज करने बारे दिनांक 25–05–2026 को कार्यकारी दण्डाधिकारी ददाहू द्वितीय श्रेणी के समक्ष असालतन या वकालतन पेश होवें अन्यथा मामले में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 04–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

हस्ताक्षरित / –

मोहर। (सुरेश कुमार),

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : / 2026 दायर तिथि

श्री देवराज पुत्र गरीबूराम, निवासी चंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री देवराज पुत्र गरीबूराम, निवासी चंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू–एन / एसटी / बीएण्डडी / डिलेय केसिस / 2026–376, दिनांक 16–04–2026 द्वारा अनुलग्नक

क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 15–06–1966 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटडी ब्यास के जन्मतिथि अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 29–05–2026 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री देवराज पुत्र गरीबूराम, निवासी चंदपुर, की जन्मतिथि 15–06–1966, को तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 29–04–2026 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

––––––––––

CORRECTION OF NAME

I, Sunita Kumari w/o Sh. Suresh Kumar, r/o Village Ranka, P.O. Tripal Khas, Tehsil Haripur, District Kangra (H.P.) declare that my minor daughter's name has wrongly been recorded as "Knishka Chaudhary" in her Aadhar Card. Whereas, her correct name as per Birth Certificate and Bonafide Himachali Certificate is Kanishika. She shall be known as Kanishika. All concerned please may note.

SUNITA KUMARI
w/o Sh. Suresh Kumar,
r/o Village Ranka, P.O. Tripal Khas,
Tehsil Haripur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kumari Binta w/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Behi Bag, P.O. Koti Prahanuie, Tehsil & District Chamba (H.P.) declare that I want to correct my name as Kumari Binta instead of Binta Devi in my Aadhar Card No. 5295 1296 0774.

KUMARI BINTA
w/o Sh. Subhash Chand,
r/o Village Behi Bag, P.O. Koti Prahanuie,
Tehsil & District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shubham Sharma s/o Sh. Dinesh Chand, r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni, Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Subham Sharma to Shubham Sharma. I shall be known as Shubham Sharma for all purposes in future. All concerned please note.

SHUBHAM SHARMA
s/o Sh. Dinesh Chand,
r/o Village Gudhwin, P.O. Bohni,
Sub-Tehsil Lambloo, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Muminah Begam w/o Sh. Shahid Ali, r/o V.P.O. Bamta, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Momina Begum to Muminah Begam. All concerned please note.

MUMINAH BEGAM
w/o Sh. Shahid Ali,
r/o V.P.O. Bamta, Tehsil Sadar,
District Bilaspur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Dola Ram s/o Sh. Kahnu, r/o Gadaog, P.O. Pressi, Tehsil Karsog, Bari 34, Pressi Mandi, District Mandi (H.P.) declare that in my Aadhar Card No. 3749 3496 2660 my name is wrongly mentioned as Doli. Whereas, my correct name is Dola Ram.

DOLA RAM
s/o Sh. Kahnu,
r/o Gadaog, P.O. Pressi, Tehsil Karsog,
Bari 34, Pressi Mandi, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pinki Devi w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Kasba, P.O. Yol Camp, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that in the Aadhar Card of my daughter her name is wrongly entered as Bansika whereas, in the school certificate it has been entered as Vanshika. So I have changed my daughter's name from Bansika to Vanshika for all purposes. All concerned please may note.

PINKI DEVI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Kasba, P.O. Yol Camp,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Baby Devi w/o Sh. Bhagwan Dass, r/o Village Batahri, P.O. Lohara, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 8480 0615 2943, is wrongly entered as Boby Sharma. Whereas, my correct name is Baby Devi. All concerned please note.

BABY DEVI
w/o Sh. Bhagwan Dass,
r/o Village Batahri, P.O. Lohara,
Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rita Devi d/o Sh. Raj Kumar, r/o Kawari, Tehsil Nagrota Bagwan, District Kangra (H.P.) declare that my name is wrongly entered as "Arati Devi" in my Aadhar Card. My correct name as per educational and bonafide certificates is Rita Devi. Arati Devi and Rita Devi are one and the same person. All concerned please may note.

RITA DEVI
d/o Sh. Raj Kumar,
r/o Kawari, Tehsil Nagrota Bagwan,
District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Raj Kumari (69) w/o Sh. Milap Singh Rana, r/o V.P.O. Suan, Tehsil Jaisinghpur, Distt. Kangra (H.P.) hereby inform that my name has been wrongly recorded as Rajkumari Milapsingh Rana in my Aadhar Card and PAN Card. My correct name as per service record of my father is Raj Kumari. All concerned note.

RAJ KUMARI
w/o Sh. Milap Singh Rana,
r/o V.P.O. Suan, Tehsil Jaisinghpur,
Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Manish Kumar s/o Sh. Sawroop Chand Soni aged (42), r/o Vill. Tharu, P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (H.P.)-176 047 do hereby declare on oath as under, that in Aadhar Card No. 5340 1097 6747, of my son, his name is entered as Baby of Reema whereas his correct name is Manik Soni which is entered correct in his Birth Certificate. That name of my son may please be entered in Aadhar Card as Manik Soni.

MANISH KUMAR
s/o Sh. Sawroop Chand Soni ,
r/o Vill. Tharu,
P.O. & Tehsil Nagrota Bagwan,
Distt. Kangra (H.P.)-176 047.

CORRECTION OF NAME

I, Tanushka Rana d/o Sh. Rasal Singh, Village Barot, P.O. Barot Banal, Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.) declare on oath that in my Aadhar Card 7455 0703 6573 my name is wrongly entered as Tanishka Rana. My correct name is Tanushka Rana. Concerned note.

TANUSHKA RANA
d/o Sh. Rasal Singh,
Village Barot, P.O. Barot Banal,
Tehsil Fatehpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi w/o Sh. Raj Kumar, r/o Vill. Mandoli, P.O. Khudla, Teh. Baldwara, Distt. Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Baby two of Sunita Devi to Arshiya Bains. She shall be known as Arshiya Bains for all purposes in future. All concerned please note.

SUNITA DEVI
w/o Sh. Raj Kumar,
r/o Vill. Mandoli, P.O. Khudla,
Teh. Baldwara, Distt. Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meena w/o Sh. Raju, r/o V.P.O. Narkanda Kaunthru (75), P.O. Narkanda, Distt. Shimla (H.P.)-171 213 hereby declare that I have changed my daughter's name from Anjal (Old Name) to Angel (New Name). All may concerned please note.

MEENA
w/o Sh. Raju,
r/o V.P.O. Narkanda Kaunthru (75),
P.O. Narkanda, Distt. Shimla (H.P.)-171 213.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।